रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122023-250528
CG-DL-E-09122023-250528

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 703]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 2023/अग्रहायण 17, 1945
No. 703]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2023/AGRAHAYANA 17, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसंबर, 2023

सा.का.नि. 886(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारुप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 492(अ), तारीख10 जुलाई, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को 10 जुलाई, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारुप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अठारह मास की समाप्ति को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125 ग में, उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि 1 अक्तूबर, 2025 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यान एन 2 और एन 3 प्रवर्ग के यानों के केबिन के लिए वातानुकूलन प्रणाली के साथ लगे होंगे और वातानुकूलन प्रणाली के साथ लगे हुए केबिन का परीक्षण, समय-समय पर यथासंशोधित, आई एस 14618:2022 के अनुसार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि, 1 अक्तूबर, 2025 को या उसके पश्चात्, ड्राइव-अवे चेसिस के रूप में विनिर्मित एन 2 और एन 3 प्रवर्ग का कोई यान, ढांचा निर्माणकर्ता को किट स्थापित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए चेसिस विनिर्माता, आई एस 14618:2022 के अनुसार वातानुकूलन प्रणाली की एक प्रकार अनुमोदित किट प्रदाय करेगा ।"।

[फा. सं आरटी-11028/02/2016-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 823(अ), तारीख, 6 नंवबर, 2023 द्वारा अंतिम रुप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2023

G.S.R. 886(E).—WHEREAS the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, was published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 492(E), dated the 10th July, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND WHEREAS copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 10th July, 2023;

AND WHEREAS no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Tenth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the expiry of eighteen months from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125C, in sub-rule (4), after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided also that the vehicles manufactured on or after the 1st October, 2025 shall be fitted with an air-conditioning system for the cabin of vehicles of N2 and N3 category and the testing of the cabin fitted with air-conditioning system shall be as per IS14618:2022, as amended from time to time:

Provided also that any vehicle of N2 and N3 category, manufactured in the form of drive-away chassis, on or after the 1st October, 2025, the chassis manufacturer shall supply a type approved kit of air conditioning system as per IS 14618:2022 to facilitate the body builder in installing the kit.".

[F. No. RT-11028/02/2016-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* G.S.R. 823(E), dated the 6th November, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.12.09 14:14:58 +05'30'